न्यायालय उप जिलाधिकारी , छाता (मथुरा)
वाद सं0: 10 वर्ष 2004-05
बी॰एल॰डापरिया (जनरल मैनेजर गिम्मी फिलामेण्ट लि0
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार

मौजा छाता तहसील छाता (मथुरा)
अंतर्गत धारा 143 जेड॰ए॰एल॰आर॰एक्ट

आदेश

धारा 143 जेड॰एल॰आर॰एक्ट के अंतर्गत बी॰एल॰डापरिया पुत्र स्व0 जगदम्बा डापरिया जनरल मैनेजर गिम्मी फिलामेण्टस लि,छाता ने प्रार्थना पत्र इस अभिवचन के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा छाता आराजी खाता संख्या 591 खसरा संख्या 222 मि0 रकबा 2.86 एकड़(1.159 हेक्टेयर) के क्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज वकील हैं। उक्त भूमि पर कृषि अथवा इससे संबंधित कार्य नहीं किया जा रहा है मौके पर खाली है और बतौर आबादी प्रयोजन में लाई जा रही है। इसलिए उक्त भूमि को आबादी घोषित कर दिया जावे।उक्त कथन के समर्थन में अपना शपथपत्र नकल खसरा 1412 फसली व खतौनी 1408 लगायत 1413 फसली की प्रति को संलग्न किया है। उक्त प्रकरण को स्थानीय जाँच नायब तहसीलदार छाता से कराई गयी । नायब तहसीलदार ने अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक - 28-12-2004 को प्रस्तुत की है जो कि पत्रावली पर संलग्न है।

प्रकरण में जाँच अधिकारी/नायब तहसीलदार ने जाँचोपरांत अपनी आख्या में यह उल्लेख किया है कि खसरा संख्या222मि0 रकबा 2.86 एकड़ भूमि का प्रार्थी बतौर क्रमणीय भूमिधर काबिज वकील है। उक्त भूमि कृषि अथवा कृषि से संबंधित किसी भी प्रयोजन में नहीं है अपितु आबादी के प्रयोजन में आ रही है। जाँच आख्या में उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

चूंकि जाँच अधिकारी/नायब तहसीलदारकी जाँच आख्या एवं संलग्न कागजात से यह समाधान हो जाता है कि खसरा संख्या222मि0 रकबा 2.86 एकड़ भूमि के क्रमणीय भूमिधर काबिज वकील है और प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को कृषि अथवा इससे संबंधित किसी प्रयोजन में नहीं है। अपितु आबादी के प्रयोजन में है। अतः उक्त भूमि को आबादी निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ आबादी घोषित किया जाता है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि को कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में लिया गया तो पुर्नगणना निर्धारित करने की कार्यवाही कर दी जायेगी:-

1. धारा जिसके अंतर्गत आबादी घोषित की जा रही है :-	धारा 143 जेड॰ए॰एल॰आर॰एक्ट
2. भूमि जहाँ स्थित है:	मौजा छाता तहसील छाता(मथुरा)
3. भूमि का विवरण	खाता सं0 591 खसरा सं0 222मि0 रकबा 2.86 एकड़
4. भू राजस्व	23.50
5. भूमिधर का नाम व पता	बी॰एल॰डापडिया जनरल मैनेजर गिम्मी फिलामेण्ट लि, छाता

(एच0 डी0 यादव)
दिनांक : 29/12/2004 उप जिलाधिकारी,छाता

प्रतिलिपि:
1. तहसीलदार/ रजिस्ट्रार कानून गो अभिलेख में प्रविष्ट दर्ज किए जाने हेतु
2. उप निबंधक, छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु

(एच0 डी0 यादव)
दिनांक: 29/12/2004 उप जिलाधिकारी,छाता ।

Urgent

K.A. SH. S SINGHVI

न्यायालय उप जिलाधिकारी, छाता (मथुरा)
वाद सं0- 03 वर्ष 2004-05 मौजा छाता तहसील छाता (मथुरा)
बी0एल0 छापरिया बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
धारा- 143 ज.वि.अ./भू.व्य.अधि.

अन्तिम आदेश दि0 26-10-04

प्रार्थी बी.एल.छापरिया पुत्र स्व0 सागरमल छापरिया जनरल मैनेजर, गिन्नी फिलामेण्टस लिमिटेड, छाता ने धारा 143 ज.वि.अ./भू.व्य.अधि. से आच्छादित अपना दावा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा छाता स्थित आराजी खाता संख्या 591 खसरा संख्या 222 मि0 रकबा 12 एकड (4.856 हेक्टेयर) लगान 60 आ के वे संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख एवं काबिज दखील है। उक्त भूमि मौके पर खाली है और आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। उक्त भूमि पर कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं आ रही है। प्रकरण की नायब तहसीलदार क्षेत्र से जांच कराई गयी। नायब तहसीलदार छाता की जांच आख्या संलग्न 25-10-04 में यह उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 222 मि0 रकबा 4.856 हेक्टेयर भूमि के प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर है और काबिज दखील है। यह कि उक्त भूमि कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं है। आख्या के संलग्न खसरा 1412 फसली में भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कृषि उत्पादन का उल्लेख नहीं है। जांच अधिकारी ने उक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने हेतु अपनी आख्या प्रेषित की है।

चूंकि नायब तहसीलदार/जांच अधिकारी की आख्या से यह समाधान हो जाता है कि खसरा संख्या 222 मि0 रकबा 12 भूमि के प्रार्थी भूमिधर है और भूमि कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में नहीं है। अतः खसरा संख्या 222 मि0 रकबा 12 एकड अर्थात 4.856 हेक्टेयर भूमि को धारा 143 ज.वि.अ./भू.व्य.अधि. के तहत आबादी इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि को कृषि अथवा इससे संबंधित प्रयोजन में लिए जाने पर भू राजस्व आदि पूर्ववत अंकित कर दिया जावेगा।

1. धारा जिसके अंतर्गत आबादी घोषित की जा रही है:	धारा 143 ज.वि.अ एवं भू.व्य.अधिनियम
2. भूमि जहां स्थित है	मौजा छाता तह0छाता
3. भूमि का विवरण	खसरा सं0222 मि0 रकबा 4.856हेक्टेयर
4. भू राजस्व	101.25
5. भूमिधर का नाम व पता	मै0गिन्नी फिलामेण्ट लि0 छाता द्वारा जनरल मैनेजर बी0एल.छापरिया पुत्र सागरमल छाता नि0 गिन्नी फिलामेण्ट छाता तहसील छाता (मथुरा)

(एच0 डी0 यादव)
उप जिलाधिकारी, छाता

प्रतिलिपि: तहसीलदार छाता को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराने हेतु
प्रतिलिपि: उप निबंधक छाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु

(एच0 डी0 यादव)
उप जिलाधिकारी, छाता